

राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा

क्रमांक:- प.2()स्था0.राज0/विभा0/2020/ 1946

दिनांक:- 15 दिसम्बर, 2020

-:: कार्यालय आदेश ::-

राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक प01 (52)एमई/ग्रुप-1/2013 जयपुर दिनांक 15.12.2020 के द्वारा डॉ0 अमृता मंगर को स्वयं की वेतन श्रृंखला में पातेय वेतन पर आचार्य शिशु औषध विभाग में पदनामित किया गया है।

अतः इस संस्थान के शिशु औषध विभाग के सुचारु संचालन के लिये निर्देशानुसार डॉ0 अमृतलाल बैरवा, वरिष्ठ आचार्य के स्थान पर डॉ0 अमृता मंगर आचार्य शिशु औषध विभाग के विभागाध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा जाता है।

ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।


(डॉ0 विजय सरदाना)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांक:- प.2()स्था0.राज0/विभा0/2020/ 1946

दिनांक:- 15 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
02. श्रीमान शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
03. श्रीमान उप-शासन सचिव(ग्रुप-1), चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
04. अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0) चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
05. अतिरिक्त प्रधानाचार्य प्रथम/द्वितीय/तृतीय इस महाविद्यालय को।
06. अधीक्षक एम.बी.एस./जे.के.लोन मातृ /नवीन चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय, रामपुरा, कोटा।
07. समस्त विभागाध्यक्ष.....।
08. वर्तमान विभागाध्यक्ष डॉ0 अमृतलाल बैरवा, वरिष्ठ आचार्य शिशु औषध को प्रेषित कर लेख है कि डॉ0 अमृता मंगर को कार्यभार सौंपे। संबंधित वर्णित विभागाध्यक्ष डॉ0 अमृता मंगर, आचार्य को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने विभाग का कार्यभार वर्तमान विभागाध्यक्ष से प्राप्त कर लें।
09. डॉ0 अमृता मंगर आचार्य शिशु औषध विभाग को पालनार्थ।
10. मुख्य लेखाधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय कोटा।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी.....।
12. समस्त अनुभाग प्रभारी.....।


प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक